अति तत्काल

संख्या आर-11016/02/2015-पी.एण्ड.सी.
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 15 दिसम्बर, 2020

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए नवम्बर, 2020 माह के मासिक सारांश के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **नवम्बर, 2020** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

(प्रदीप भटनागर)
निदेशक (पी एंड सी)
दूरभाष नं0 23389327

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिमंडल के सभी सदस्य
2. पी.आई.बी./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली ।

उपभोक्ता मामले विभाग

नवम्बर, 2020 माह के लिए मासिक सारांश

1. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय:

i) प्याज के मूल्य में नरमी लाने के लिए सरकार ने अफगानिस्तान तथा अन्य देशों से आयात करने तथा नेफेड के माध्यम से सीधे आयात करने के लिए कदम उठाए हैं। आयातित प्याज के प्रापण (खरीदी) और आपूर्ति के लिए अनुमोदन दिए गए हैं ताकि आपूर्ति बढ़ाई जा सके और खरीफ मौसम की प्याज की खरीदारी कर पीएसएफ बफर को प्रतिपूर्ति की जा सके। सरकार ने रबी, 2021 के लिए प्याज के भंडार को 1 एलएमटी से बढ़ाकर 1.5 एलएमटी करने का निर्णय लिया है।

ii) आलू के मूल्य और उपलब्धता पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में दिनांक 31.01.2021 तक 10 लाख मीट्रिक टन आलू के आयात के लिए आयात शुल्क 30% घटाकर 10% करना शामिल है। सरकार ने आलू के आयात के लिए स्वास्थ्य संबंधी (सैनिटरी) और पादप आरोग्य संबंधी उपायों को देश दर देश के आधार पर शिथिल कर दिया और आयातित प्याज के लिए कुरेन्टीन और धूम्रीकरण (फ्यूमीगेशन) की आवश्यकता में दिनांक 15.12.2020 तक छूट दी गई। आलू की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने क लिए भूटान से आयात को सुकर बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं और नीदरलैंड तथा यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) से आलू का आयात करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं।

iii) सरकार ने तूर के आयात के लिए एलएमटी कोटा 15.11.20 से 31.12.2020 तक और 1.5 एलएमटी उड़द आयात कोटा 31.3.21 तक बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त मसूर के आयात शुल्क में 30% से 10% की गई कमी को दिनांक 31.12.20 तक बढ़ा दिया गया। सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए दालों के बफर के आकार और संरचना को 23 एलएमटी तक बढ़ाने को अनुमोदित कर दिया है। अति-आवश्यकता की अवधि के दौरान दालों की आश्वस्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2 एलएमटी तूर के लिए मोजाम्बिक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया।

2. माह के दौरान मुख्य उपलब्धियां:-

i) रबी, 2020 फसल से लगभग 0.99 एलएमटी प्याज की खरीदारी की गई और नाफेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार माह के दौरान लगभग 63,110 मीट्रिक टन प्याज की बिक्री की गई है।

ii) पीएमजीकेएवाई और इसके लाभों के संबंध में एक राष्ट्रव्यापी समर्थन और जागरूकता अभियान शुरू किया गया। एनएफएसए लाभार्थियों को दालें और अनाज के नि:शुल्क वितरण के संबंध में संदेश एक वीडियो फिल्म के माध्यम से दिया गया जिसे पंचायतों के साथ साझा किया गया और 20 क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया गया।

iii) जागरूकता कार्यक्रम के कारण जागरूकता के संबंध में सूचनाओं का प्रसार हुआ और ढाई महीने की छोटी अवधि में बड़ी संख्या में लाभार्थियों को लक्षित लाभ प्राप्त हुए। अब तक, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उनके द्वारा प्राप्त किए गए 8.04 एलएमटी साबूत चने में से 6.57 एलएमटी दालों का वितरण किया है।

iv) इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत शामिल न किए गए या आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत विस्थापित किए जाने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राशन कार्ड न रखने वाले प्रत्येक विस्थापित कामगार परिवार को 1 किलो साबूत चने के प्रावधान के संदर्भ में नवम्बर, 2020 के अंत तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 27,008.41 मी.टन साबूत चना भेजा गया था जिसमें से उनके द्वारा 26,871.98 मी.टन प्राप्त किया गया और 16,644.88 मी.टन वितरित किया गया।

v) बीआईएस ने ''मानक ऑनलाइन'' नामक एक प्रयोक्ता अनुकूल प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसने पूरी प्रमाणन-प्रक्रिया में परिवर्तन ला दिया है। री-इंजीनियरिंग की प्रक्रिया के साथ इसके कारण आईएसआई मार्क स्कीम के अंतर्गत लाइसेंस देने के 90% से अधिक आवेदन पत्रों का निपटान निर्धारित अवधि (सरलीकृत प्रक्रिया में 01 माह और सामान्य प्रक्रिया में 04 माह) के भीतर किया गया।

vi) अपने प्रचालनों में इष्टतम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए बीआईएस ने लाइसेंसों की फैक्ट्री की निगरानी से जुड़ी गतिविधियों के लिए एनएबीसीबी द्वारा प्रमाणित 5 एजेंसियों को प्रत्यायित किया है।

3. माह के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण बैठकें

i) ''आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की समीक्षा'' के संबंध में सीओएस की एक बैठक दिनांक 13.11.2020 को आयोजित की गई।

****